SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, there is a public prosecutor. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Rajani Patil. ...*(Interruptions)*... Sit down please. ...*(Interruptions)*... I cannot ask them. ...*(Interruptions)*... Dr. Maitreyan, please. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY; AND THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I take note of his concern. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: All Zero Hour mentions should be responded to by the Government. ...*(Interruptions)*... Don't set a wrong precedent. ...*(Interruptions)*... All Zero Hour mentions should be responded to by the Government here. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shrimati Rajani Patil.

All arming rise in cases of attack on minor children in form of rape, sexual assault, molestation, murder, etc. in all parts of country

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा उठाने जा रही हूं, जिसको पूरा सदन राजनीति से ऊपर उठकर अपना समर्थन देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ...(**व्यवधान**)...सर, हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, लेकिन जब हम सुबह न्यूजपेपर पढ़ते हैं या टी.वी. पर न्यूज देखते हैं, तो जान जाते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ किस तरह हिंसा होती है और किस तरह उनके साथ बलात्कार की घटनाएं घटती हैं। उनके साथ किस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है, यह देखकर हमारा मन व्यथित हो जाता है।

सर, कभी छोटी चार-पांच साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो कभी छोटे बच्चों को अमानवीय तरीके से पीटा जाता है। इसका असर जिन्दगी भर उन छोटे बच्चों पर रहता है। सर, सड़क के चौराहे पर जब हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो छोटे-छोटे बच्चे गाड़ी के पास भीख मांगने आते हैं। वे छोटे बच्चे न केवल भीख मांगते हैं, बल्कि कभी-कभी बहुत छोटे बच्चों की माताएं दूध की खाली बोतल दिखाती हैं और बच्चों को रुलाती हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जाता है।

सर, हमने पेपर में एक सबसे चौंकाने वाली खबर लश्करे तैयबा के बारे में पढ़ी। हमने पेपर में पढ़ा कि लश्करे तैयबा भी नाबालिक जुवेनाइल बच्चों को भर्ती कर रहा है, ताकि वह उनके द्वारा आतंकवादी कार्यवाही कर सके। हिन्दुस्तान में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके मुताबिक ऐसे नाबालिक बच्चों को इस तरह की कठिन शिक्षा नहीं दी जा सकती, इसलिए उस एक्ट का फायदा उठाकर, बच्चों के साथ अत्याचार किया जाता है। सर, चाहे कितने भी कानून बनें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बने, फिर भी आज इस देश में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आज जब हम अपने बच्चों का प्री-स्कूल या प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, तो हमसे लिखित में अंडरटेकिंग ली जाती है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। उपसभापति जी,

[श्रीमती रजनी पाटिल]

इस तरह से कैसे चलेगा? एक तरफ हम बच्चों के लिए कानून बनाएंगे और दूसरी तरफ बच्चों को जहां दिन भर छोड़ेंगे, वहां उनको सुरक्षित वातावरण नहीं देंगे। उपसभापति जी, यह चाचा नेहरू का देश है। यह बच्चों का, बच्चों को प्यार करने वाला देश है। इस देश का सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा बच्चों की हिफाजत होना चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से विनती करना चाहती हूं कि अगर किसी ने बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही हो। मुझे ऐसी आशा है कि सदन के सभी लोग इससे सहमत होंगे। धन्यवाद।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

SOME HON. MEMBERS : We associate ourselves with the issue raised by the hon. Member.

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करती हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (गुजरात) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): While associating myself with the issue raised by my colleague, I want to make a suggestion to the Government that crimes of sexual nature up to the age of 12 must be taken cognizance in a different way than clubbing them with Juvenile Act. I would appreciate if the Government responds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeev Chandrasekhar to associate.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you. I draw your attention to the heinous crime that took place in Bangalore recently wherein a six year old student of Class-I was raped in a school, allegedly by school staff. This is the second reported case including a two year old child in January this year.

These incidents raise several questions about the procedures/steps being taken to ensure the safety of children inside school. As mentioned, a similar crime took place a few months ago on a 2½ year old child studying in a pre-school. She was molested by the driver of the school bus inside the school premises. Due to media pressure the police did arrest the driver?

I had raised a question in Parliament on 17th July, 2014 on the total number of cases of child exploitation and sexual offences recorded this year and those being prosecuted under the Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. The facts provided in the reply are shocking. The POCSO Act effectively addresses...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You only associate. Please don't make a speech. ...*(Interruptions)*... You associate.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Given the heinous nature of these crimes, I urge the Parliament and the Government to take all the necessary steps, including amending the POCSO Act, to ensure school managements are brought under the ambit of the law, and school management and teachers are made accountable and responsible for safety of children in school premises. Thank you.

Remarks made by VHP leader against Muslim Community

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : थैंक यू सर। इस देश में कम्युनल वातावरण निर्मित करने का प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए सत्ताधारी दल पर बिल्कुल चार्ज नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वी.एच.पी. के बहुत बड़े नेता, जिनकी 88 साल की उम्र है, उन्होंने एक न्यूज पेपर, हिन्दुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू दिया है कि मुसलमानों को हिन्दुओं का आदर करना चाहिए। मुसलमान हिन्दुओं का अनादर कब करते हैं, उनको मालूम नहीं है। उनका ऐसा कहना है ...(**व्यवधान**)... जरा मुझे बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... जरा मुझे बोलने दीजिए।

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश) : माननीय सदस्य जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं और जो सदन का सदस्य नहीं है, अपनी सफाई नहीं दे सकता है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not said who the person is.

श्री हुसैन दलवई : उनका ऐसा कहना है ...(**व्यवधान**)... मंदिर उनको देना चाहिए ...(**व्यवधान**)... वह तो तोड़ दिया है। उनका कहना है कि अभी काशी और मथुरा भी बाकी हैं। ...(**व्यवधान**)... मुसलमानों को यह बात माननी चाहिए ...(**व्यवधान**)... मुझे बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)... इतना ही नहीं ...(**व्यवधान**)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : सर, ये यहां पर कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई : इतना ही नहीं ...(**व्यवधान**)... उनके नेता ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हुसैन दलवई जी, आपको किसी का नाम नहीं लेना है।...(**व्यवधान**)... Please don't take any name. If you take any name, I will expunge it.

श्री हुसैन दलवई : मैंने उनका नाम नहीं लिया है ...(**व्यवधान**)... उनके एक नेता ने कहा है ...(**व्यवधान**)... जरा सुनिए तो ...(**व्यवधान**)... सुन तो लीजिए ...(**व्यवधान**)... मैंने नाम नहीं लिया है ...(**व्यवधान**)... एक नेता ने कहा है...(**व्यवधान**)... मुसलमान गुजरात भूल गए होंगे, तो मुजफ्फरनगर को याद रखिए ...(**व्यवधान**)... कुछ भी हो सकता है...(**व्यवधान**)...एक तरह से ...(**व्यवधान**)... जरा सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अविनाश राय खन्ना : सर, ऐसी बातें एलाऊ नहीं होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...